# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 143/2017 RCMS No.—2017/00080

1. ताराचन्द शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सारंगपुरा ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
2. रामराय शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सारंगपुरा ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
3. सीताराम शर्मा पुत्र स्व. नारायण लाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुवालाल पुत्र गोविन्द राम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, पता ग्राम सारंगपुरा, ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमती हरली देवी पत्नी स्व. नन्दराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, पता ग्राम सारंगपुरा, ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
3. बद्रीनारायण पुत्र श्रीनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, पता ग्राम सारंगपुरा, ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत नृसिंपुरा जरिये सरपंच पता पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा द्वारा जारी अवैध पट्टा संख्या 2623, 2624 व 2625 मिसल संख्या 133, 149, 150 दिनांक 26.12.1999 को निरस्त करने बाबत रिविजन।

---

उपस्थितः–
1. श्री प्रकाश तिवाडी अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सुरेश चन्द जांगिड व पवन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक लगा0 तीन की ओर से ।

---

निर्णय दिनांकः 20.12.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा, पं.स.सांगानेर द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पति के पक्ष में क्रमशः अपने आदेश दिनांक 26.12.1999 द्वारा मिसल संख्या 133, 149, 150 द्वारा क्रमशः पट्टा संख्या 2623, 2624, 2625 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक लगायत तीन की ओर से श्री सुरेश चन्द जांगिड अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा के पत्रांक 114 दिनांक 18.07.2017 द्वारा उक्त मूल पट्टा पत्रावलीयां ग्राम पंचायत से प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा पंचायत समिति सांगानेर ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 व 3 तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पति के नाम निगरानीधीन 3 पट्टे आदेश दिनांक 26.12.

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

1999 को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी कर दिये जो निरस्तनीय है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों के विधिक प्रावधानो के अनुसार निर्मित भवन का पट्टा ही जारी किया जा सकता है लेकिन ग्राम पंचायत ने जालसाजी करते हुए बेशकीमती जमीन गैर निगरानीकारान को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आलौच्य आदेश पारित कर दिया। पंचायती राज अधिनियामों के अनुसार ग्राम पंचायत 300 वर्गगज का पट्टा ही जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई मौका निरीक्षण एवं आपत्ति नोटिस जारी किये विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर निगरानीधीन पट्टे जारी किये है। गैर निगरानीकारान न ही कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते है एव ना ही भूतपूर्व सैनिक इसके बावजूद गैर निगरानीकार संख्या 4 ने गम्भीर विधिक भूल की है। निगरानीकर्ताओ को उक्त पट्टो की जानकारी उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के यहां से उपरोक्त वर्णित अवैध पट्टो की प्रमाणित प्रति दिनांक 12.06.2017 को प्राप्त करने से हुई है। निगरानीकर्ताओ ने उक्त पट्टो के विरूद्व निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की है। निगरानीधीन पट्टो की भूमि रास्ते की भूमि है जिससे निगरानीकर्ताओ का आवागमन भी अवरूद्व हो गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर द्वारा भी सरपंच/ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा को दिनांक 19.09.2017 को उक्त पट्टो को खारिज करवाने बाबत निगरानी दायर करने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम पत्रावली में 364.75 वर्गगज, द्वितीय पत्रावली में 1028.33 वर्गगज, तृतीय पत्रावली 1831.66 वर्गगज कुल 3224.74 वर्गगज भूमि के पट्टे एक ही परिवार सदस्यो को आवंटित कर दिये जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पति के हक में जारी मिसल संख्या 133. 149. 150 द्वारा जारी पट्टा संख्या 2623, 2624, 2625 आदेश दिनांक कमशः 26.12.1999 को निरस्त करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक लगायत तीन की ओर से दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टे अलग–अलग व्यक्तियों सुवालाल, नन्दराम, बद्रीनारायण को दिया गया है जबकि निगरानी में तीनो पट्टो की भूमि को एक ही व्यक्ति को देना अंकित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त विधिक प्रकिया अनुसार पट्टा जारी किया है एवं उक्त पट्टे उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत होने के पश्चात माननीय सिविल न्यायालय को निगरानी सुनवाई का अधिकार है। गैर निगरानीकारान ही उक्त भूमि पर काबिज है एवं पट्टे जारी किये जाने के 20 वर्ष पश्चात रिविजन प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है। ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा द्वारा नियमानुसार ही जारी किये गये है। निगरानीकर्ताओ द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। वकील गैर निगरानीकार द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत अनुकम्पा आवास विकास प्रा.लि. बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व आर.एल. डब्ल्यू 2009 (3) राज. 2295 एवं सिविल रिव्यू पिटिशन नम्बर 301/302 व सिविल रिट पिटिशन नम्बर 3034/2011 मैसर्स अनुकम्पा बनाम जे.डी.ए. पेश किए।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा से प्राप्त मूल पट्टा पत्रावलियों आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 में निगरानी के संबंध में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 1 व 3 तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पति को ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन 3 पट्टे एक ही दिवस 26.12.1999 को कुल 3224.74 वर्गगज भूमि के जारी किये गये। निगरानीधीन पट्टा संख्या 2623 आबादी भूमि 364.75 वर्गगज व पट्टा संख्या 2624 आबादी भूमि 1831.66 वर्गगज व पट्टा संख्या 2625 आबादी भूमि 1028.33 वर्गगज कुल आबादी भूमि 3224.74 वर्गगज सुवालाल, नन्दराम हिस्सा 1/2 व बद्रीनारायण हिस्सा 1/2 ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा द्वारा दिनांक 26.12.1999 जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टो पर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं है एवं गैर निगरानीकारान के पट्टा आवेदन हेतु पेश किए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है। उक्त तीनो पट्टा पत्रावलियों का संधारण सरपंच ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा द्वारा किया जाकर अपने स्तर पर ही पट्टे जारी किये गये है, पट्टा पत्रावलियों में सचिव ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा पं.स. सांगानेर द्वारा पंचायती राज अधिनियम व नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे गैर निगरानीकारान संख्या एक व तीन तथा गैरनिगरानीकार संख्या दो के पति के पक्ष में जारी किये जो अवैधानिक है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम व नियमों की पालना नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा, पं.स. सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 व 3 तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पति को संयुक्त रूप से आदेश दिनांक 26.12.1999 द्वारा मिसल संख्या 133, 149, 150 से कमशः जारी पट्टा संख्या 2623, 2624, 2625 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नृसिंगपुरा पंचायत समिति सांगानेर को मुताबिक निर्णय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

( पुखराज सैन )
अति. कलक्टर-प्रथम,
जयपुर

अति. जिला कलक्टर-प्रथम
जयपुर